कलेक्टर व एस.पी. ने किया रीट परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण

■ रीट परीक्षाओं के दौरान सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त पाई गई।

करौली (निं.सं.) जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने गुरुवार को रीट परीक्षाओं को लेकर राजकीय चिरंजीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय आईटीआई कॉलेज, वीणा पीजी कॉलेज, शिवा अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रीट परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रीट परीक्षाओं को लेकर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिला कलक्टर ने बताया कि रीट परीक्षाओं के दौरान सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त पाई गई। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2024 को जिले मे सकुशल सम्पन्न करवाने के लिए समस्त अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशों व निर्देशों के अक्षरश: पालना करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से समस्त परीक्षा केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था की गई हैं पर्याप्त पुलिस जाप्ता एवं उड़नदस्ते लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी केन्द्रों पर कानून व्यवस्था माकूल पाई गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशों व निर्देशों के अक्षरश: पालना की जा रही है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर नियमानुसार जांच के पश्चात बोर्ड द्वारा अनुमत परिधानों में निर्धारित समय तक ही प्रवेश दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में 27 फरवरी को दो पारी में उक्त परीक्षा सकुशल आयोजित की गई वहीं 28 फरवरी को प्रात: 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एक पारी में आयोजित की जाएगी। 28 फरवरी को जिले के 23 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 10133 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, परीक्षार्थीयों को निर्धारित समय से 1 घन्टे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा। इस सम्बंध में समीक्षा बैठकों एवं निरीक्षणों के दौरान जिला कलक्टर द्वारा परीक्षा संचालन समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने व परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, नियमबद्धता, गुणवत्ता व शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के समस्त निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तय ड्रेस कोड के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आधी आस्तीन के शर्ट या टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट या पायजामा एवं हवाई चप्पल या स्लीपर निर्धारित है, वहीं महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी या आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहने हों एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा होना निर्धारित है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा फर्जी कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित कर उनकों रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई मूल उपस्थिति पंजिका से उनका मिलान करने के आदेश संबंधित अधिकारियों एवं सतर्कता दल को दिये गए हैं। केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, सतर्कता दल एवं उड़नदस्तों के अधिकारी भी सभी स्तरों पर निगरानी बनाए हुए हैं और सुनिश्चित कर रहें हैं कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से नकल या नकल का प्रयास नहीं किया जा सके और जांच कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामठी अथवा उपकरण नहीं हो। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा अभ्यर्थियों को जागरूक किया गया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या उसके पास कोई भी प्रतिबंधित सामठी अथवा उपकरण पाई जाती है तो उसके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन अधिनियम 2022 के तहत कठोरत्तम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

'तंबाकू दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जायेगा'

करौली (निं.सं.) राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में तंबाकू दुष्प्रभावों की जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को तंबाकू दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक कर तंबाकू सेवन करने की शपथ दिलाई जाएगी। सीएमएचओ डॉ.दिनेश चंद मीना ने बताया कि तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जागरूकता के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से कृष्ण शिक्षा समिति द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जिले के 280 विद्यालयों एवं 15 महाविद्यालय में किया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम में जागरूकता परक आईईसी सामठी प्रदर्शन,पंपलेट वितरण और 9 इंडिकेटर्स की पालना सहित जागरूकता परक प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालयों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों में तंबाकू सेवन करने वाले जागरूक होकर तंबाकू व तंबाकू उत्पादों का सेवन छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे तंबाकू उत्पादों के सेवन से आज की पीढ़ी ठासित होती जा रही है ।

पश्चिम मध्य रेल

ई–निविदा सूचना

सिविल इंजीनियरिंग (गति शक्ति यूनिट)

भारतसंघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभि.(गति शक्ति यूनिट) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा गति शक्ति यूनिट कोटा के लिए आमंत्रित है। **क.सं.: 01, टेन्डर संख्या:** जी.एस.यू.–I–कोटा–01–2025, **कार्य का विवरण:** (बैलेन्सड वर्क): फॉर श्री महावीर जी : इम्प्रूवमेंट टू वेरियस पेसेन्जर एमेनिटीज अण्डर अमृत भारत स्टेशन स्कीम।, **कार्य की लागत:** 18575474.51, **टेन्डर बन्द होने की तारीख:** 19.03.2025। पूर्ण विवरण वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई–निविदा में तथा उप मुख्य इंजीनियर (गति शक्ति यूनिट), मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई–निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ई–निविदा के अतिरिक्त ऑफ लाईन /मैनुअल ऑफर के माध्यम से टेन्डर स्वीकार नहीं किये जायेगें।

(हस्ता.)

उप मुख्य अभि.(गति शक्ति यूनिट), पमरे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

'स्काउट गाइड समर्पण के साथ आमजन की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं'

करौली (निं.सं.) राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में जिला स्काउट गाइड भवन में आयोजित किया जा रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट सेमिनार के उद्घाटन समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय करौली इंद्रेश तिवारी ने कहा की स्काउट गाइड सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और पीड़ित मानव को सहायता प्रदान कर खुशी का अनुभव करते है।

सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया की जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी ने जिला स्तरीय कम्युनिटी डेवलपमेंट सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर कहा की स्काउट गाइड सेवा का पर्याय है और अकाल बाढ़ तूफान एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय पूर्ण समर्पण के साथ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं उन्होंने स्काउट गाइड से कहा की पीड़ित की सेवा करना सबसे पुनीत सेवा का कार्य है उन्होंने कहा कि हम समुदाय की सेवा के लिए समुदाय को भी प्रेरित कर कार्य करें एवं करवाए तो बेहतर होता है जिससे उसे कम्युनिटी का भी इंवॉल्वमेंट उसे कार्य में हो जाता है जिला शिक्षा अधिकारी करौली के शिविर में पहुंचने पर सहायक शिविर संचालक सुरेश चंद शर्मा के नेतृत्व में स्काउट मास्टर के एक दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया कम्युनिटी डेवलपमेंट सेमिनार का जिला शिक्षा अधिकारी ने मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया शिविर संचालक यादराम आर्य एवं सहायक शिविर संचालक एवं रामानंद आजाद ने संगठन का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया सहायक शिविर संचालक मेघराज माली ने बताया कि शिविर में 29 स्काउट मास्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इस अवसर पर राज्य पुरस्कार रोवर निलेश जंगम, लवकुश मंगल, निकिन जाटव, करिश्मा राठौर, अंजलि मीणा आदि उपस्थित थे।

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज0)

फोन न0 07464–294024 ई–मेल आईडी np.karauli@yahoo.com website - www.npkarauli.in

क्रमांक : न0परि0क0/2025/4125 दिनांक : 20.02.2025

सार्वजनिक सूचना

नगरपरिषद करौली के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है इस क्रम में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 12.04.2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्न उपविधियों के उल्लघन में किये गये कृत्यों के लिए मौके पर निम्नानुसार जुर्माना राशि वसूली जायेगी :–

क्र.स.	कृत्य का विवरण	जुर्माना राशि
1	रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड/गली में कचरा फैलाने (Lttering) पर	75/–रूपये प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिकों के द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1000/–रूपये प्रतिदिन
4	होटल मालिकों के द्वारा में कचरा डालने पर	1000/–रूपये प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	2500/–रूपये प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट पकोडी, फास्ट फूड आईसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य ज्यूस सब्जी एवं फूट आदि ठेला व्यवसायिकों पर	75/–रूपये प्रतिदिन
7	सार्वजनिक स्थानों/रोड/गली में गन्दगी (Lttering)करने पर	
(i)	थूकने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	खुले में नहाने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(iii)	खुले में पेशाब करने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(iv)	खुले में शौच करने पर	200/–रूपये प्रतिदिन
(v)	गोबर डालने पर	2500/–रूपये प्रतिदिन
8	कचरे का पृथक्कीकारण, भण्डारण एवं इकट्टा करने में उल्लंघन पर	
(i)	घरो द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नही किये जाने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्टठा नहीं किये जाने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
(iii)	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र वायोडिग्रेबल वेस्ट को उनके परिसर में उपचारित (Treatment/self composting) नहीं किये जाने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
(iv)	बायो डिग्रेडेबल कचरे को पृथक से नहीं देने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(v)	100 व्यक्तियों से अधिक का आयोजन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथक कर अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नहीं सोपने पर	2000/–रूपये प्रतिदिन
(vi)	सूखे कचरे को पृथक से नहीं देने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(vii)	गार्डन बेस्ट/पेंडो की छटाई के बेस्ट को नहीं देने पर	100/–रूपये प्रतिदिन
(viii)	कचरा जलाने पर	200/–रूपये प्रतिदिन
(ix)	दुकानदारों Vendor/hawker को बिना कचरापात्र के पाये जाने पर	300/–रूपये प्रतिदिन
(x)	दुकानदारों Vendor/hawker को पृथक कर नहीं देने पर	300/–रूपये प्रतिदिन
(xi)	पालतू जानवरों के मालिकों द्वारा पालतु जानवरों से कचरा फेलाने व खुले में शौच कराने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री ईट, सीमेन्ट, लोहा पत्थर, सरकारी भूमि पर डालने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
10	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलवा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर परिषद की सडकों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटो पर निजी वाणिज्यक प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1500/– रूपये प्रतिदिन
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	2500/–रूपये प्रतिदिन
13	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सडक पर करने पर	2500/–रूपये प्रतिदिन
14	अपने भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	2500/–रूपये प्रतिदिन
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाईयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र गीला व सूखा कचरे को अलग–अलग करने हेतु आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1500/–रूपये प्रतिदिन
16	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसाईयों द्वारा सडक पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	750/–रूपये प्रतिदिन
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हडियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सडक, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
18	आम रास्ता, सडक व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड, उंट, गधा, घोडे, सुअर, इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
19	विवाह स्थलों द्वारा बाहर कचरा डालने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
20	आम रास्ता, सडक पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस – मछली पकाने व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	2000/–रूपये प्रतिदिन
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सडक के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सडक पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	75/–रूपये प्रतिदिन
22	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सडक पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर	250/–रूपये प्रतिदिन
23	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सडक अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
24	आमरास्ता, सडक, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	500/–रूपये प्रतिदिन
25	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्ता, सडक व फुटपाथ पर गन्दगी फैलाने पर	2000/–रूपये प्रतिदिन
26	कन्शट्रक्शन एवं डिमोलिश वेस्ट को पृथक से इक्ठठा नहीं करने पर	
(i)	घरेलू उत्पादकों से	300/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	अघरेलू उत्पादकों से	3000/–रूपये प्रतिदिन
27	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(6) की अनुपालना नहीं किये जाने पर	
(i)	रेजिडेन्स वेलफेयर ऐशोसियेशन	7500/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	मार्केट ऐशोसियेशन	15000/–रूपये प्रतिदिन
28	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(7) की अनुपालना नहीं किये जाने पर	
(i)	Gated Community	7500/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	Gated Institution	15000/–रूपये प्रतिदिन
29	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 4(8) की अनुपालना नहीं किये जाने पर	
(i)	होटल	30000/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	रेस्टोरेन्ट	15000/–रूपये प्रतिदिन
30	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 17(2) की अनुपालना सेनेटरी नेपकीन व डायपर्स के निर्माता/ब्रान्डधारी द्वारा अवहेलना करने पर	
(i)	डिस्पोजेबल मेटेरियल को वापस ग्रहण करने की व्यवस्था नही करने पर	30000/–रूपये प्रतिदिन
(ii)	निर्माता/ब्रान्डधारी अपने उत्पादो के साथ प्रत्येक नेपकीन या डाइपर्स के निस्तारण के लिए एक पाउच/रेपर उपलब्ध नही कराने पर	30000/–रूपये प्रतिदिन
31	संस्थान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान, ऑफिस होटल, दुकान, रेस्टोरेन्ट, मिठाई दुकान, ढाबा, मन्दिर, औद्यौगिक प्रतिष्ठान, मेरिज हॉल, मेरिज गार्डन, बेन्केट हॉल इत्यादि द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	3000/–रूपये प्रतिदिन
32	व्यक्तियों/घरों तथा दुकानों द्वारा प्लास्टिक कचरे को बाहर फेकने पर	750/–रूपये प्रतिदिन
33	प्लास्टिक कचरा जलाने पर	200/–रूपये प्रतिदिन
34	प्लास्टिक कैरी बेग को उपयोग करते पाये जाने पर	75/–रूपये प्रतिदिन

राज.संवाद/सी/24/12371 **आयुक्त**

विधानसभा में उठाए सवालों को गलत बताया

भरतपुर (निस)। गत कुछ दिनों से भरतपुर के विधायक एवं राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री डॉ सुभाष गर्ग द्वारा भरतपुर में चल रहे विकास के कार्यों, प्रोजेक्ट एवं अन्य विषयों पर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए भाजपा के नेताओं ने इन सवालों को पूर्ण रूप से गलत बताया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेष सिंह, अभयवीर सिंह,रूपेन्द्र जघीना, गिरधारी गुप्ता, बृजेश अठावाल आदि भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने विधायक डॉ सुभाष गर्ग द्वारा उठाए गए सवालों का गलत बताते हुए निन्दा की। भाजपा नेताओं ने का कि जहां तक विधायक डॉ सुभाष गर्ग द्वारा भरतपुर किला क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा आमजन को सडक चौड़ी करने के नाम पर अवैध नोटिस दिये जाने एवं डराने-धमकाने की बात कही गयी है, वह पूर्ण रूप से असत्य है क्योंकि नगर निगम-जिला प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिये गये है, वह रैड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक दिये गये है न कि किले के अन्दर के क्षेत्र में। रैड क्रॉस सर्किल से गोवर्धन गेट तक भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क चौड़ी करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि विधायक द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है कि किले की आबादी 20,000 से 25000 है जो इन नोटिसों से डरी हुई है। विधायक पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से भरतपुर के विधायक है और संभवत: उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस किला क्षेत्र की आबादी की वह बात कर रहे है वह भरतपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 35 में आता है और जिसकी 2011 के आँकड़ों के अनुसार जनसंख्या मात्र 3538 है और जिसमें किला क्षेत्र की आबादी लगभग मात्र 1000 और 1200 है। जहां तक बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनुमति के बिना किले के अन्दर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होने का विषय है, बिलकुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन भरतपुर में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक स्थल की सीमा से 100 मीटर (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) की दूरी तक 16 जून 1992 तक या इससे पूर्व में बने हुए भवनों का केवल मरम्मत कार्य पुरातत्व विभाग के सक्षम अधिकारियों की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। इस क्षेत्र में नये निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है एवं संरक्षित स्थान से 100 मीटर बाहर 200 मीटर (विनियमित क्षेत्र) तक निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकता है।

कुश्ती दंगल दिनांक 8 व 9 मार्च को

भरतपुर (निस)। जिला कुश्ती संघ इंडियन स्टाइल एवं श्री भूरीसिंह व्यायामशाला द्वारा 44वां लोहागढ केसरी-कुमार-किशोर-बसंत कुश्ती दंगल दिनांक 8 व 9 मार्च को लोहागढ स्टेडियम स्थित महाराजा सूरजमल कुश्ती स्टेडियम भरतपुर में राजस्थान सरकार के खेल विभाग, नगर निगम भरतपुर एवं जन सहयोग से कराया जावेगा। दंगल के महासचिव संयोजक चुन्नी कप्तान ने बताया कि उत्तर भारत के इस प्रसिद्ध विराट दंगल में भाग लेने हेतु देश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवान दिल्ली, हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, व राजस्थान से पहलवानों के आने की स्वीकृति आ गई है। कप्तान ने बताया कि लोहागढ केसरी विजेता को एक लाख ग्यारह हजार रूप्ये व एक चांदी की गुर्ज, द्वितीय को इक्यावन हजार रूपये एक शील्ड व तृतीय को पच्चीस हजार रूपये एक शील्ड पट्टा दिया जावेगा। लोहागढ कुमार विजेता इक्यावन हजार एक गुर्ज द्वितीय को इक्कीस हजार रूपये व एक शील्ड तृतीय को पन्द्रह हजार रूपये एक शील्ड, लोहागढ किशोर विजेता को इक्तीस हजार रूपये व एक गुर्ज द्वितीय को दस हजार रूपये एक शील्ड तृतीय को पांच हजाररूपये, लोहागढ बसंत विजेता को इक्कीस हजार रूपयेएक गुर्ज द्वितीय को दस हजार रूपये व एक शील्ड व तृतीय को पांच हजार रूपये एक शील्ड दी जावेगी। स्पेशल कुश्तियां बाल पहलवानों व बुजुर्ग पहलवानों की कराई जावेगी। कप्तान ने बताया कि लोहागढ किशोर में 60 किलो वजन के राजस्थान के ही रहने वाले पहलवान भाग ले सकेंगे अन्य खिताबों में देश के सभी प्रान्तों के पहलवान भाग ले सकेंगे। पहलवानों के वजन 8 मार्च को प्रात: 10 बजे से स्टेडियम में लिये जायेंगे उसी दिन दोपहर 12 बजे से कुश्ती शुरू होगी।

विद्यार्थियों ने गेंहू फसल में रोगिंग का कार्य किया

भरतपुर (निस)। कृषि महाविद्यालय भुसावर के कृषि फार्म पर ग्रामीण उद्यामिता कृषि विकास योजनान्तर्गत विद्यार्थियों ने गेंहू फसल मे रोगिंग का कार्य किया। महाविद्यालय के डीन डॉ. उदय भान सिंह ने बताया है कि जो किसान गेंहू में अपने खेत में गेंहू, सरसों, जौ, चना आदि फसलों का स्वयं के खेत मे बीजोत्पादन करना चाहते है, उन्हे फसलों में रोगिंग अवष्य करनी चाहिए। रोगिंग प्रक्रिया में फसल में अन्य किस्म तथा रोगी पौधो का उखाड कर अलग किया जाता है। जैसे गेंहू की राज 4238 किस्म का बीजोत्पादन कर रहे हैं तो उसमें अन्य किस्म के पौधों को उखाड देना चाहिए ताकि शुद्ध बीजोत्पादन हो। इन फसलों मे फूल, बाली, फली, पौधे की ऊंचाई आदि के आधार पर पौधो की पहचान कर भिन्न पौधों को उखाड कर अलग किया जाता है। फसलों मे रोगी पौधो को भी उखाडना चाहिए। विषेषत: गेंहू व जौ में कंडुआ ठासित पौधो को उखाड कर मिट्टी में दवा देना चाहिए ताकि स्वस्थ बीज पैदा हो सके। गेंहू में यदि जौ के पौधे हो तो उन्हे भी उखाड दे। इस तरह किसान स्वयं का बीजोत्पादन कर बाजार के मंहगे बीजो से बच सकता है।

सार-समाचार

भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक सम्मानित

भरतपुर (निस)। भारत की कृषि न केवल अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की घटती उपलब्धता को देखते हुए, कृषि अनुसंधान और नवाचारों पर विचार-विमर्श आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से स्टार सोसायटी ने 23-25 फरवरी 2025 को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों ने कृषि की चुनौतियों और समाधान रणनीतियों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. पीके राय को राई-सरसों की उन्नत तकनीकों के प्रचार-प्रसार में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए स्टार एसोसिएट फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, उन्हें 50,000 का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर.के. योगी को कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए स्टार एक्सीलेंस अवार्ड फॉर प्रोफेशनल प्रदान किया गया। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत यादव को राई-सरसों में जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान कार्यों और उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्टार यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। सम्मेलन के समापन सत्र में सोसायटी के सचिव डॉ. अशोक शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और इस बात की जानकारी दी कि इस सम्मेलन में 16 राज्यों से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, कृषि अधिकारी, 50 एफपीओ प्रतिनिधि, किसान और कृषि उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे।

विधिक सेवा गतिविधियों का प्रचार किया

करौली (निं.सं.) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली कि सचिव ममता चैधरी के नेतृत्व में गुरूवार को मोबाइल वैन के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया गया। प्राधिकरण कि सचिव ने बताया कि सायपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में संचालन किया गया। इस दौरान गदका कि चैकी,धांधूपुरा,गुनेसरी,कीरतपुरा,सायपुर,रघुवंशी,परीता आदि गांवों में पैनल अधिवक्ता ईमामुद्दीन खांन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से चन्द्रदीप जैन द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा उपस्थित लोगों को 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने इसकी प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए लोक अदालत के फायदों के बारे में समझाया गया तथा लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणमों, नि:शुल्क विधिक सहायता व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जल कलयाणकारी योजनाओं बारे में जानकारी प्रदान कर विधिक सेवा गतिविधियों के पम्पलेट वितरित किये गये। इसी क्रम में सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल दीपक राज मीणा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मानवेंद्र सिंह द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणपुर में विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव,बाल विवाह व नालसा द्वारा संचालित नि:शुल्क विधिक सहायता नंबर 15100 के बारे में जानकारी प्रदान की।

बीसूका की समीक्षा बैठक सम्पन्न

करौली । जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों को अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करे। जिला कलेक्टर कलेक्टेट सभागार मे आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा किबीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं मेलाभान्वित किया गया जिसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे है। इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी कार्ययोजना बनाकर सक्रिय रहते हुए कार्य करें तथा प्राथमिकता देकर विभिन्न सूत्रों मेंशत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें। उन्होंने राजीविका के मैनेजर को 15 दिन में कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में महिला एवं बाल विकास, जिला परिषद, पीडब्लूडी, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभागों को आवंटित लक्ष्यों की बिन्दुवार समीक्षा कि एवं आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिये।

एक स्मार्ट पहल
आजीवन ख़ुशियों की
गारंटी के लिए
एलआईसी का
स्मार्ट
पेंशन
यूआईएन: 512N386V01 प्लान संख्या: 879
एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, तत्काल वार्षिकी योजना
ऑनलाइन भी उपलब्ध
• एकल प्रीमियम तत्काल वार्षिकी योजना
• आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला
• एकल जीवन वार्षिकी और संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों में से चुनने की सुविधा
• प्रवेश के समय न्यूनतम आयु – 18 वर्ष
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ
LIC / R1 / 2024-25 / 50 / Hin
LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें
विज़िट करें: licindia.in
कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827
अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें
हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090
कहिए 'Hi'
हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512
पोखेधड़ी वाले फोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस